



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-02/2023
दिनांक : 06.01.2023

परिपत्र

सक्षम अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए समस्त विभागों के सामूहिक कक्ष (Common Room) प्रत्येक रविवार को दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खुले रहेंगे।

विभागाध्यक्षों से इस संबंध में उचित व्यवस्था करवाने का अनुरोध है।

समस्त अधिष्ठाताओं से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि एक भवन में न्यूनतम एक सामूहिक कक्ष (Common Room) खुले।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
06/01/23

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक (सूचना पट्ट पर लगाने हेतु)
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली